न्यायालय – तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष, पूर्णियॉ
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 447/2026
सी.आई.एस. संख्या – 447/2026

30.03.2026– आवेदक **मो0 जावेर उर्फ मो0 जावेद उर्फ मो0 जावेद आलम** ओर से दिनांक 12.03.2026 को के0 हाट थाना काण्ड सं0–35/2026 अन्तर्गत धारा 304 एवं 317(2) भारतीय न्याय संहिता में एक अग्रिम जमानत आवेदन श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को सेवित की गयी है तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष के आदेषानुसार स्थानान्तरित होकर दिनांक 13.03.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंजन कुमार मिश्रा, राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अजय कुमार सिंह को सुना।

3. आवेदकके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर से कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं की गयी है। आवेदक निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध 1,मुफ्सिल थाना काण्ड संख्या–16/25, 2,के0 हाट मरंगा–206/25, 3.कसबा–30/24, 4.के0 हाट–52/18, 5.के0 नगर–11/24 एवं 6. के0 नगर–348/24 आपराधिक इतिहास है। आवेदक के विरूद्ध अभियोग झूठा एवं बनावटी है। आवेदक द्वारा न ही किसी मोबाइल की चोरी की गयी है और न ही आवेदक के पास से किसी भी सामान की बरामदगी हुई है। आवेदक को गिरफ्तार किये जाने की आषंका है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. सूचक आलोक चौधरी के लिखित आवेदन के आलोक में अभियोजनवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.02.2026 को बिहार दारोगा का परीक्षा देकर कटिहार से वापस पूर्णियॉ के रास्त पूर्णियॉ कोर्ट स्अेषन जा रहे थे कि रास्ते में आर0एन0 साह चौक से तेजी से मोबाइल झपटकर भाग निकला, आगे जाकर आस–पास के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति का नाम मो0 तौकीर आलम एवं पूछने पर भागे हुए व्यक्ति का नाम मो0 जावेर बताया। पकड़ाये व्यक्ति के पास से एक मोटरसाइकिल जिसका नं0– बीआर11बीटी–8345 और एक मोबाइल जो मुझसे छीनी गयी थी, को थाना में सुपूर्द कर रहा हूँ।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक का अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

न्यायालय – तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियॉ

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 447/2026

सी.आई.एस. संख्या – 447/2026

6. उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्त पर अभियोग है कि उसने सूचक के मोबाइल को रास्ते से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने सहयोगी के साथ झपट्टा मारा जिसे लोगों के सहयोग से पकड़ा गया। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध 6 आपराधिक वाद दर्ज है। वाद का अनुसंधान अभी जारी है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग गंभीर है।

07. उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों में आवेदक अभियुक्त सीधी संलिप्तता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्त **मो0 जावेर उर्फ मो0 जावेद उर्फ मो0 जावेद आलम** का जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

दिनांक–30.03.2026

(लेखापित)

ह0/–

(ठाकुर अमन कुमार)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,

तृतीय पूर्णियॉ।

–